

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 41 / 2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 53

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज.)

बनाम

1. श्री शंकर लाल पटेल पुत्र श्री गोकुल जी पटेल निवासी गांव बनोडा, जिला सलुम्बर (विक्रेता / मालिक) मैसर्स मेवाड दुध डेयरी, नरवाली, घाटोल, बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री रतन लाल गुर्जर पुत्र श्री भेरुलाल गुर्जर, निवासी कोशल्या नगर, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.) (मालिक) मैसर्स राधे मिल्क एन्टरप्राइजेज, 478/326, गांव नरसा खेडी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ रजिस्टर्ड ऑफिस बी-6 आमलीया बावजी रोड, निम्बाहेडा, चित्तौडगढ (राज.) 312601

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 03-09-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 05-04-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 18-08-2023 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मेवाड दुध डेयरी, नरवाली, घाटोल, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री शंकर लाल पटेल पुत्र श्री गोकुल जी पटेल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स मेवाड दुध डेयरी, नरवाली, घाटोल, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में मिश्रीत **Pesteurized and Homogennized DTM Milk (Raj Paras) 400 एम.एल पैकिंग में 48 पाउच विक्रय हेतु रखे थे। उक्त Pesteurized and Homogennized DTM Milk (Raj Paras) को एफ.एस.एस.ए. के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान् उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Pesteurized and Homogennized DTM Milk (Raj Paras) 400 एम.एल पैकिंग के 4 पाउच वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 80/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान् के**



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Pesteurized and Homogennized DTM Milk (Raj Paras) 400 एम.एल** पैकिंग के 4 पाउच के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1542** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/486 दिनांक 27-09-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1115 दिनांक 14-09-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Pesteurized and Homogennized DTM Milk (Raj Paras)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1542** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Pesteurized and Homogennized DTM Milk (Raj Paras)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09-04-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 03-09-2024 को अप्रार्थीगणो ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/486 दिनांक 27-09-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1115 दिनांक 14-09-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Pesteurized and Homogennized DTM Milk (Raj Paras)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1542** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।



न्याय निर्णय अधिकारी  
(अति.जिला कलेक्टर)  
बॉसवाडा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **Pasteurized and Homogenized DTM Milk (Raj Paras)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री शंकर लाल पटेल पुत्र श्री गोकुल जी पटेल निवासी गांव बनोडा, जिला सलुम्बर (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स मेवाड दुध डेयरी, नरवाली, घाटोल, बांसवाडा (राज.) को रूपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), श्री रतन लाल गुर्जर पुत्र श्री भेरुलाल गुर्जर, निवासी कोशलया नगर, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.) (मालिक) मैसर्स राधे मिल्क एन्टरप्राइजेज, 478/326, गांव नरसा खेडी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ रजिस्टर्ड ऑफिस बी-6 आमलीया बावजी रोड, निम्बाहेडा, चित्तौडगढ (राज.) को रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 03-09-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोगुल)  
न्याय निर्णय अधिकारी  
न्याय निर्णय अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)  
बांसवाडा (राज.)